न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्व वाद 107/2018(2018/00281)

श्री प्रेम वल्द गीलाराम जाति मीणा निवासी बोगला तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. राजस्थानसरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार सावर जिला अजमेर

--- अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

आदेश

दिनांक 17.11.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर में प्रस्तुत हुई। प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके **ग्राम बोगला** की जमाबन्दी संवत **2072–75** में दर्ज अंकन निम्मानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
222–219	1867	3.05	नहरी 1
	1868	0.06	नहरी 1
	1869	0.10	नहरी 1
	कुल किता 3	कुल रकबा 3.21 है.	

उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात है प्रार्थी ही आराजीयात पर कब्जे काश्त कर पैदावार प्राप्त करता चला आ रहा है। उक्त आराजी प्रार्थी की कब्जे काश्त, आधिपत्य ,स्वामित्व, उपयोग,उपभोग में है। प्रार्थी ही मौके पर काबिज है तथा काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाएं अस्पष्ट हो गई है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 10.4.2018 को उत्पन्न हुआ जब पडोसियों ने दुबारा प्रार्थीया की आराजीयात में घूसने का प्रयास किया और पटवारी हल्का को सीमाज्ञान नहीं करने दे रहे है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी अप्रार्थी द्वारा करवायी जावें।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार उपस्थित होये। उन्हें सुना गया। पेरोकार सरकार द्वारा को पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। पेरोकार सरकार द्वारा आदेशिका पर अंकित किया है कि पत्थरगढी करने से [illegible] प्रभावित नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पेरोकार सरकार को सुना गया । प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी की खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढ़ी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बावत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम बोगला की जमाबन्दी संवत 2072–75 के खाता संख्या नया पुराना 222–219 खसरा नम्बर 1867, 1868, 1869, रकबा कमशः 3.05, 0.06, 0.10 है. की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 17.11.2021 को केम्प कालेडा कृष्ण गोपाल मजमे आम मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.01.14 11:27:44 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner